



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
 भाग-4, खण्ड (ख)
 (परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 22 जून, 2020

आषाढ़ 1, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
 लोक निर्माण अनुभाग-2

संख्या 147/23-2-2020-17(सा0)-2020

लखनऊ, 22 जून, 2020

अधिसूचना

प०आ०-150

चूँकि राज्य सरकार की यह राय है कि जिला कुशीनगर में बॉसी नदी के गौरी घाट पर एक नए सार्वजनिक नौघाट की आवश्यकता है;

अतएव, अब, उत्तरी भारत नौघाट अधिनियम, 1878 (अधिनियम संख्या 17 सन् 1878) की धारा 4 के खण्ड (ग) और (घ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से नीचे अनुसूची में यथा दर्शित सीमाओं के भीतर जिला कुशीनगर के गौरी घाट पर एक नया सार्वजनिक नौघाट स्थापित करती हैं।

उक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन राज्यपाल अग्रतर निदेश देती हैं कि पूर्वोक्त दिनांक से, जिला कुशीनगर के गौरी घाट पर पूर्वोक्त सार्वजनिक नौघाट का तत्कालिक अधीक्षण, अधीक्षण अभियन्ता, देवरिया वृत्त, लोक निर्माण विभाग, देवरिया में निहित होगा।

अनुसूची

जिले का नाम	नदी के दोनों ओर परगनों का नाम	नदी के दोनों ओर पर ग्रामों का नाम	नदी जिस पर नौकाघाट स्थापित किया जाना है	नौकाघाट का नाम
1	2	3	4	5
कुशीनगर	सिधुआ जोबना	गौरी जगदीश सिसवनिया उत्तर टोला बिन टोली, बकुलहवां नरायन टोला	बॉसी नदी	गौरी घाट

नौकाघाट की श्रेणी	किनारा	नौघाट की सीमा			
		धारा के ऊपर की ओर	दूरी	धारा के अनुकूल	दूरी
6	7	8	9	10	11
"अ"	गौरी घाट	चौबेया पटखौली	8.00 कि०मी०	दमकला घाट	5.00 कि०मी०

आज्ञा से,
नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव।

THE Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 147/XXIII-II-2020-17(Sa)-2020, dated June 22, 2020 for general information:

No. 147/XXIII-II-2020-17(Sa)-2020
Dated Lucknow, June 22, 2020

WHEREAS the State Government is of the opinion that a new public ferry is needed on the river Banshi at Gauri Ghat in District Kushinagar;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers under clauses (c) and (d) of section 4 of the Northern India Ferries Act, 1878 (Act no.XVII of 1878), the Governor is pleased to establish, with effect from the date of publication of this notification in the *Gazette*, a new public ferry on the Gauri Ghat in District Kushinagar within its limits as shown in the Schedule below.

Under section 6 of the said Act, the Governor is further pleased to direct that with effect from the aforesaid date, the immediate superintendence of the aforesaid public ferry at Gauri Ghat in District Kushinagar shall vest in the Superintending Engineer, Deoria Circle, Lok Nirman Vibhag, Deoria.

SCHEDULE

Name of District	Name of the Pargana on both sides of the river	Name of village on both sides of the river	Name of the river on which ferry is to be established	Name of the Ferry
1	2	3	4	5
Kushinagar	Sidhuwa Jobna	Gauri Jagdish Siswania North tola bin toli Bakulhwan Narayan Tola	Banshi River	Gauri Ghat

Class of Ferry	Bank	Limit of Ferry			
		Upstream	Distance	Down Stream	Distance
6	7	8	9	10	11
"A"	Gauri Ghat	Chauby Pathkhauri	8.00 Km.	Damkalan Ghat	5.00 Km.

By order,
NITIN RAMESH GOKARN,
Pramukh Sachiv.